महोबा पुलिस

दिनांक- 13.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1018/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 13.11.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ



महोबा पुलिस

दिनांक- 13.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1017/26

पुलिस अधीक्षक महोबा ने पुलिस लाइन में परेड का किया निरीक्षण, शारीरिक दक्षता से लेकर पुलिस वाहनों की उपलब्धता तक परखी व्यवस्थाएं।

- आज दिनांक 13.11.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली गई। इस दौरान पुलिस बल में शारीरिक चुस्ती, अनुशासन एवं सामूहिक समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों को टोलीवार दौड़ एवं विभिन्न प्रकार की ड्रिल का अभ्यास कराया गया।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड के दौरान पुलिसकर्मियों की शारीरिक दक्षता एवं ड्रिल की गुणवत्ता का जायजा लिया गया। उन्होंने प्रशिक्षण को नियमित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा पुलिसकर्मियों को अपनी कार्यक्षमता में निरंतर सुधार लाने के लिए प्रेरित किया।
- परेड के उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डायल-112 पीआरवी वाहनों सहित अन्य पुलिस वाहनों की साफ-सफाई, रख-रखाव एवं तकनीकी स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को वाहनों को सदैव दुरुस्त एवं चालू हालत में रखने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए।
- इसके पश्चात आदेश कक्ष में आयोजित ऑर्डली रूम में पुलिसकर्मियों से संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन कर प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल की शारीरिक दक्षता, अनुशासन, प्रशिक्षण एवं विभागीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया गया, जिससे पुलिसकर्मी प्रत्येक परिस्थिति में तत्परता एवं दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।






महोबा पुलिस

दिनांक- 13.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1019/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी व विधिक कार्यवाही पर दिया गया विशेष बल...।

आज दिनांक 13.11.2026 को जनपद महोबा की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा (नोडल अधिकारी) की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान गुमशुदा/अपहृत बालक/बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी, मेडिकल परीक्षण, धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के समक्ष प्रस्तुतिकरण, पॉक्सो एक्ट, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रारूप (क) एवं (ख) के अनुपालन सहित विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि-

- गुमशुदा बच्चों से संबंधित प्रकरणों में त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- मेडिकल परीक्षण, बयान एवं CWC के समक्ष प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया समयबद्ध एवं विधिसम्मत रूप से पूर्ण की जाए।
- पॉक्सो एक्ट, बंधुआ मजदूरी एवं अनैतिक देह व्यापार से संबंधित मामलों में कठोर एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित की जाए।
- किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप (क) एवं (ख) का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए।
- विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं का समय रहते निराकरण कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए।
- गोष्ठी में जिला बाल कल्याण समिति महोबा, चाइल्ड लाइन महोबा, श्रम विभाग महोबा, सखी वन स्टॉप सेंटर महोबा, जिला प्रोबेशन कार्यालय महोबा, जी.आर.पी. महोबा, किशोर न्याय बोर्ड महोबा, स्वास्थ्य विभाग महोबा, अभियोजन कार्यालय महोबा के प्रतिनिधियों सहित प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, प्रभारी एसजेपीयू, प्रभारी महिला थाना एवं जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण सहित नाबालिग गुमशुदगी मामलों की जांच करने वाले अधिकारी (विवेचक) भी उपस्थित रहे।



महोबा पुलिस

दिनांक- 13.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1020/26

यातायात जागरूकता माह नवम्बर-2026 के अंतर्गत महोबा प्राइवेट बस स्टैंड पर यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बस चालकों, परिचालकों एवं यात्रियों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक।

"सुरक्षित सफर, सुरक्षित जीवन—यातायात नियमों का पालन, सभी का दायित्व।"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात जागरूकता माह नवम्बर-2026 के अंतर्गत निरंतर जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।



इसी क्रम में आज दिनांक 13.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी यातायात/नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी यातायात श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा महोबा स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बस चालकों, परिचालकों एवं यात्रियों को एकत्रित कर यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।

बस चालकों एवं परिचालकों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी-

कार्यक्रम के दौरान बस चालकों एवं परिचालकों को निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, वाहन के आवश्यक अभिलेख पूर्ण रखने तथा वाहन की नियमित जांच एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने, यात्रियों को सुरक्षित तरीके से चढ़ाने एवं उतारने तथा निर्धारित स्थान पर ही वाहन रोकने के लिए निर्देशित किया गया।

यात्रियों को भी किया गया सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक-

यातायात पुलिस टीम द्वारा उपस्थित यात्रियों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, चलती बस में चढ़ने-उतरने से बचने, वाहन की खिड़की एवं दरवाजों पर अनावश्यक रूप से खड़े न होने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के संबंध में जानकारी दी गई। यात्रियों से अपील की गई कि वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने अथवा असुरक्षित तरीके से वाहन संचालित किए जाने की स्थिति में संबंधित को ऐसा करने से रोकने के लिए जागरूकता एवं जिम्मेदारी का परिचय दें।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था पर दिया गया जोर-

कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। वाहन चालकों, परिचालकों एवं यात्रियों से अपील की गई कि वे यातायात नियमों को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तथा स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें।

महोबा पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता माह नवम्बर-2026 के अंतर्गत जनपद के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख मार्गों, विद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किए जाने का अभियान निरंतर जारी है।

महोबा पुलिस की अपील: यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित वाहन चलाएं, निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखें तथा सड़क पर स्वयं के साथ-साथ दूसरों के जीवन की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें।

महोबा पुलिस—सड़क सुरक्षा, जनसुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध।

दिनांक- 13.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1021/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उ0नि0 उदयभान यादव मय हमराह उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त कल्लू पुत्र रामचरन उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोबा से संबंधित क्रिमिनल केस संख्या 5548/2026, धारा 115(2)/352 बीएनएस में निर्गत गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में ग्राम इमलिया से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

कल्लू पुत्र रामचरन उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उदयभान यादव
2. उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल



दिनांक- 13.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1022/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम ने अलग-अलग अभियोगों में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

उ0नि0 गौरव चौबे मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 511/2026 धारा 64(1)/331(4)/351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त महेश प्रजापति पुत्र जयराम उम्र 28 वर्ष निवासी नथूपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को रेलवे स्टेशन अण्डर ब्रिज के पास बजरिया थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 अंकित सिंह चौहान मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 526/2026 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त खेमचन्द्र कुशवाहा पुत्र काशीप्रसाद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सोहरयाँव थाना चरखारी जनपद महोबा को बिलवई चुंगी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के उपरान्त आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. महेश प्रजापति पुत्र जयराम उम्र 28 वर्ष निवासी नथूपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2. खेमचन्द्र कुशवाहा पुत्र काशीप्रसाद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सोहरयाँव थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

प्रथम टीम- 1.उ0नि0 गौरव चौबे 2.उ0नि0 अभिषेक कुमार 3.का0 अजय कोरी

द्वितीय टीम- 1.उ0नि0 अंकित सिंह चौहान 2.हे0का0 ब्रजेश सिंह तोमर





दिनांक- 13.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1023/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

वरि0उ0नि0 दिनेश तिवारी मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 530/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त उपदेश उर्फ भोंदा पुत्र हरप्रसाद उम्र करीब 23 वर्ष निवासी पुराने प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को आज दिनांक 13.11.2026 को पुराने प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

उपदेश उर्फ भोंदा पुत्र हरप्रसाद उम्र करीब 23 वर्ष निवासी पुराने प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.वरि0उ0नि0 दिनेश तिवारी, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2.उ0नि0 पवन गौड़, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
3.का0 शिवनारायण, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 586/2017 धारा 380/411/457 भादवि।
2.मु0अ0सं0 59/2022 धारा 380/411 भादवि।
3.मु0अ0सं0 64/2022 धारा 380/411/457 भादवि।
4.मु0अ0सं0 227/2022 धारा 380/411/457 भादवि।
5.मु0अ0सं0 231/2022 धारा 25 आर्म्स एक्ट।
6.मु0अ0सं0 438/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट।
7.मु0अ0सं0 14/2023 धारा 380/411/457 भादवि।
8.मु0अ0सं0 28/2024 धारा 380/411/457 भादवि।
9.मु0अ0सं0 530/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट।



दिनांक- 13.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1024/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 920/2015 धारा 302/394/411 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त सोनू यादव पुत्र कामता यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बंधानवार्ड थाना कोतवाली नगर महोबा, हाल पता ब्लॉक नं0 10 कमरा नं0 09 कांशीराम कॉलोनी एसपी आवास के पीछे थाना कोतवाली नगर महोबा को आज दिनांक 13.11.2026 को कांशीराम कॉलोनी एसपी आवास के पीछे थाना कोतवाली नगर महोबा से गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू यादव पुत्र कामता यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मोहल्ला बंधानवार्ड, हाल पता ब्लॉक नं0 10 कमरा नं0 09 कांशीराम कॉलोनी एसपी आवास के पीछे थाना कोतवाली नगर महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

2.का0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

